फाइल सं. ए.12018/ 39/2019-लेप

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडू में पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू तमिलनाडू में पुस्तकालय और सूचना सहायक समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। baidyanath.prasad@nic.in

(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली
दिनांक 27/9/19

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खड 3, उप-खड (1) मे प्रकाशनाथ

भारत सरकार

स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,............2019

सा.का.नि. ....राष्ट्रपति संवाधान के अनुच्छेद 309 के परतुंक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, चेंगलपट्टु तमिलनाडु में (पुस्तकालय और सूचना सहायक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम,1989 के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्ग को छोड़कर, एतदद्वारा केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, चेंगलपट्टु तमिलनाडु में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती कि पद्ति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनातें हैं, नामत:

1. लघु शीर्षक और प्रारभं- (1) इन नियमों को केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, चेंगलपट्टु तमिलनाडु में पुस्तकालय और सूचना सहायक , समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारिख से प्रभावी होंगे।

2. **पदों कि संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान-** उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में यें स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जांएगे।

3. **भर्ती कि पद्ति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि**- भर्ती कि पद्ति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. **अनर्हता**-कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुंबध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसनें अपनें पति/पत्नी के जिवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुंबध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार-जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवशयक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती हैं, जिसके करणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।

6. बचत इन नियमों में ऐसा कुछ नही होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों कि कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधें भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	एक पद * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकती है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-6 (रु. (35400-1,12,400) वेतन मट्रिक्स	पदोन्नति: गैरचयन सीधी भर्ती: लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। विभागीय उम्मीदवार के मामले में 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। नोट: - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, लाहौल और स्पीच जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिलों के पंगु सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित तिथि नहीं ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधें भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	भर्ती कि पद्ति भर्ती सीधें होगी या पोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिय आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (1) लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान का बैचलर डिग्री । (2) केंद्र / राज्य सरकार / स्वायत्त या वैधानिक संगठन / पीएसयू / विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के तहत एक पुस्तकालय में दो साल का पेशेवर अनुभव। वांछित:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा नोट: 1. अन्यथा अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है। नोट-2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम अधिकारी के विवेक पर अनुभव की योग्यता में छूट दी जा सकती है , यदि चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नही	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / पदोन्नति, जिसके नाकाम होने पर सीधी भर्ती द्वारा अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करनें में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी: - (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या (ii) पे मैट्रिक्स में लेवल -5 (रु. 29200-92300) में पद पर 5 साल नियमित सेवा; या (iii) पे मैट्रिक्स में लेवल -2 (रु 19900-63200) के साथ लाइब्रेरी क्लर्क के पदों में 10 साल की नियमित सेवा; तथा ख) स्तंभ 7 के तहत प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए निर्धारित योग्यता। (विभागीय पुस्तकालय क्लर्क वेतन मैट्रिक्स पे लेवल -2 (रु 19900-63200) के ग्रेड में 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान के पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि हों, को भी बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाएगा। यदि उसका चयन किया जाता है, तो पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। अन्यथा, इसे प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) से भरा हुआ माना जाएगा।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगें:- 1. अतिरिक्त महानिदेशक - अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (कुष्ठ) - सदस्य 3. निदेशक (ए और वी)) - सदस्य 4. उपनिदेशक - सदस्य	प्रतिनियुक्ति * (लघु अवधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।